उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1
संख्या- 4 /2023-आई/285269/2023-10-3001/74/2021-3-
लखनऊ : दिनांक 09 मार्च, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ0प्र0 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारियों को नियमित तैनाती होने अथवा अग्रिम आदेशों तक उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में उल्लिखित संस्थाओं के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार दिये जाने का श्री राज्यपाल महोदया द्वारा सहर्ष आदेश प्रदान किया जाता है:-

क्र0	अधिकारी का नाम/पदनाम (सर्वश्री)	वर्तमान तैनाती का स्थान	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4
1.	बजरंगी सिंह, संयुक्त निदेशक, मुख्यालय लखनऊ	मुख्यालय लखनऊ	1. उ0प्र0 सहकारी गन्ना समिति संघ, लखनऊ। 2. पी0सी0एफ0, लखनऊ। 3. उ0प्र0 को-आपरेटिव यूनियन लिमिटेड, लखनऊ।
2.	सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय, उप निदेशक, लखनऊ मण्डल	लखनऊ मण्डल	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सरकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ।

2- उक्त अतिरिक्त प्रभार में पद में निहित समस्त कर्तव्य/दायित्व सम्मिलित होंगे तथा उपरोक्त अधिकारियों को इस हेतु अलग से कोई वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

समीर
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. अपर मुख्य सचिव, सहकारिता/पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि कृपया उपरोक्त आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करायें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. श्री बजरंगी सिंह, संयुक्त निदेशक, मुख्यालय लखनऊ को तत्कालन अनुपालन सुनिश्चित करने हेत।
5. श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय, उप निदेशक, लखनऊ मण्डल को तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।
6. सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नितिन कुमार गुप्त
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।